संख्या ३।एस २-१११/७१-नि०—३१३३
बिहार सरकार
नियुक्ति विभाग

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव,

सेवा में

सभी विभाग के सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी

३ फाल्गुन १८६३ (श०)
पटना-१५, दिनांक——————
२२ फरवरी १९७२

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या ९२७७-नि०, दिनांक २६ मई, १९७१ की कंडिका ४ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्नस्तर कोटि के पद में कालावधि निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ विभागों से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निम्न-लिखित निर्णय लिया है :—

(१) नियुक्ति विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा—

पद	उच्चतर पद		प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि
(क) अवर उप-समाहर्त्ता (२९०—६५०)	उप-समाहर्त्ता (३२५—९८५)	....	६ वर्ष
(ख) उप-समाहर्त्ता (३२५—९८५)	उप-समाहर्त्ता, कनीय प्रवर-कोटि (४५०—१,१६०)	....	५ वर्ष
(ग) उप-समाहर्त्ता (कनीय प्रवर-कोटि)	उप-समाहर्त्ता (वरीय प्रवर-कोटि) (९००—१,४००)	....	८ वर्ष

(२) संगठन एवं पद्धति प्रशाखा :—

(सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय)

(क) निम्नवर्गीय सहायक (१३५—२३५)	उच्चवर्गीय सहायक (२००—३८०)	....	८ वर्ष
(ख) उच्चवर्गीय सहायक (२००—३८०)	प्रशाखा पदाधिकारी (२९०—६५०)	....	१० वर्ष
(ग) प्रशाखा पदाधिकारी (२९०—६५०)	निबंधक (३००—७५०)		जो सबसे सुयोग्य व्यक्ति पाये जायें उन्हींको वरीयता का ख्याल रखते हुए प्रोन्नति दी जाय। विहित परीक्षा पास करने के तुरत बाद सुरक्षित स्थानों पर बहाली की जाय।
(घ) आशुलिपिक श्रेणी-२ (१६०—२८०)	आशुलिपिक श्रेणी-१ (२३०—४१९)		

पद		उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि
(च) टंकक वर्ग-२ (१२०—२००)		टंकक वर्ग-१ (१६०—२८०)	५ वर्ष
(छ) टंकक वर्ग-१ १६०—२८०)		प्रधान टंकक (२६०—३८०)	७ वर्ष
(ज) दिनचर्यालिपिक (१०५—१५५)		प्रवर कोटि दिनचर्यालिपिक (१५०—२००)	५ वर्ष
(झ) दिनचर्यालिपिक (दोनों संवर्गों के)		निम्नवर्गीय सहायक (१३५—२३५)	निम्नवर्गीय परीक्षा पास करने के तुरत बाद सुरक्षित स्थानों पर बहाली की जाय।
(ट) आदेशपाल (७०—८०)		जमादार आदेशपाल (७५—८५)	५ वर्ष
		(३) खनन एवं भूतत्व विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा।	
(क) उप-निदेशक (भूतत्व)	....	वरीय परामर्शी (भूतत्व)	८ वर्ष
(ख) वरीय भूतत्ववेत्ता	....	उप-निदेशक (भूतत्व)	१० वर्ष
(ग) भूतत्ववेत्ता	....	वरीय भूतत्ववेत्ता	८ वर्ष
(घ) सहायक खनन पदाधिकारी	....	जिला खनन पदाधिकारी	८ वर्ष
(च) जिला खनन पदाधिकारी	...	उप-निदेशक (खान)	१० वर्ष
(छ) उप-निदेशक (खान)	....	निदेशक (खान)	८ वर्ष
		(४) कल्याण विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा।	
(क) श्रेनमोला सेवक	...	कल्याण निरीक्षक	५ वर्ष
(ख) कल्याण निरीक्षक	....	सहायक कल्याण पदाधिकारी	५ वर्ष
(ग) सहायक कल्याण पदाधिकारी	....	अनुमंडल पदाधिकारी	८ वर्ष
		(५) मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा।	
(क) सहायक अनुवादक श्रेणी-३ (२००—४००)	....	सहायक अनुवादक श्रेणी-२ (१६०—५५०)	७ वर्ष
(ख) सहायक अनुवादक श्रेणी-२ (२५०—५५०)		अनुवाद पदाधिकारी (२९०—६५०)	८ वर्ष
(ग) अनुवाद पदाधिकारी (२९०—६५०)		सहायक निदेशक ३००—७५०)	५ वर्ष
(घ) सहायक निदेशक (३००—७५०)		उप-निदेशक (४४५—९२५)	५ वर्ष
(च) उप-निदेशक (४४५—९२५)		निदेशक (४५०—१,२५०)	५ वर्ष
(छ) शब्दावली सहायक (२५०—५५०)		प्रशाखा पदाधिकारी (शब्दावली) २९०—६५०)	१० वर्ष
		(६) जेनरल	
अराजपत्रित पदाधिकारी (२३०—४५०) और समकक्ष (वेतनमान)।		राजपत्रित पदाधिकारी (२९०—६५०)	६ वर्ष

२. इस सम्बन्ध में आपका ध्यान मुख्य सचिव के अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या १६५४-नि०, दिनांक २० फरवरी, १९७२ की ओर आकृष्ट करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त पत्र में दिए गए आदेशानुसार जिन विभागों से कालावधि निर्धारण की अनुशंसा अभी तक नहीं भेजी गई है, अविलम्ब भेजने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,
ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या ३/एस-२—१११/७१—नि०५९९३।
बिहार सरकार
कार्मिक विभाग।

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद,
सरकार के मुख्य सचिव,

सेवा में

सभी विभाग के सचिव

सभी विभागाध्यक्ष।

सभी जिला पदाधिकारी

पटना-१५, दिनांक २४ चैत, १८९४ (श०); ६ अप्रील, १९७२।

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लि आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या ६२७७-नि०, दिनांक २९ मई, १९७१ की कंडिका ४ तथा पत्र सं०३३३३-नि, दिनांक २२ फरवरी, १९७२ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्नतर कोटि के पद में कालावधि निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ और विभागों से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

(१) लोक निर्माण विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा—

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिये सेवा अवधि
(क) अधिदर्शक के सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के लिए : —		
(१) ऐसे अधिदर्शक जिन्होंने ए० एम० आई० की योग्यता प्राप्त कर ली है		५ वर्ष
(२) ऐसे अधिदर्शक जिन्होंने ए० एम० आई० की योग्यता हासिल नहीं की है।		८ वर्ष
(ख) अभियन्ता सहायक	सहायक अभियन्ता	५ वर्ष
(ग) सहायक अभियन्ता	कार्यपालक अभियन्ता	८ वर्ष
(घ) कार्यपालक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	७ वर्ष
(ङ) अधीक्षण अभियन्ता	अपरमुख्य अभियन्ता	५ वर्ष

(च) अपर मुख्य अभियन्ता की कोटि में ३ वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लेने के पश्चात् पदाधिकारी को मुख्य अभियन्ता के पद पर पदस्थापित किया जा सकता है।

२. उद्योग एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के

किसी कोटि में प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्नतर की कोटि के पद में कम-से-कम ८ (आठ) वर्षों की सेवा आवश्यक मानी जाए।

३. इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि जिन विभागों से कालावधि निर्धारण की अनुशंसा अभी तक नहीं भेजी गयी है, अविलम्ब भेजने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,
ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

पत्र संख्या ३/एस २-१११/७१—८१९१-का० ।

बिहार सरकार

कर्मिक विभाग

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में

सभी विभाग के सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक २३ वैशाख १८९४ (श०) / १३ मई १९७२ ।

विषय :—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण ।

महोदय,

(१) वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिए सेवावधि ।
१ । वित्त सेवा (कनीय शाखा) (२९०--६५०) ।	वित्त सेवा (वरीय शाखा) (३२५—९२५) ।	६ वर्ष
२ । वरीय शाखा (३२५—९२५) ।	सहायक आयुक्त (४५०—१,१६०) ।	६ वर्ष
३ । सहायक आयुक्त (४५०- १,१६०) ।	उपायुक्त (९००—१,४००) ।	४ वर्ष
४ । उपायुक्त (९००—१,४००) ।	संयुक्त आयुक्त (१,२००—१,७००) ।	४ वर्ष

(२) योजना (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए सेवावधि।
१। प्रवेशिकोत्तीर्ण अमीन (८५—१००)।	कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (१०५—१५५)।	८ वर्ष
२। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (१०५—१५५)।	संकलक ((१२०—२२५)।	८ वर्ष
३। संकलक (१२०—२२५)।	कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक (१६०—२८०)।	८ वर्ष
४। कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक (१६०—२८०)।	कनीय सांख्यिकी सहायक (२००—३५०)	१० वर्ष
५। कनीय सांख्यिकी सहायक (२००—३५०)।	सांख्यिकी पर्यवेक्षक (२३०—४५०)।	८ वर्ष
६। सांख्यिकी पर्यवेक्षक (२३०—४५०)।	सांख्यिकी पदाधिकारी/ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी (२६०—६५०)।	८ वर्ष
७। सांख्यिकी पदाधिकारी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।	सहायक निदेशक (३२५—९२५)।	८ वर्ष
८। सहायक निदेशक (३२५—९२५)।	उप-निदेशक (४५०—१,२५०)।	८ वर्ष
९। उप-निदेशक (४५०—१,२५०)।	संयुक्त निदेशक (९००—१,५००)।	६ वर्ष

(३) उत्पाद विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए सेवावधि।
१। उत्पाद निरीक्षक	अधीक्षक, उत्पाद	७ वर्ष
२। उत्पाद अवर-निरीक्षक	उत्पाद निरीक्षक	१० वर्ष
३। उत्पाद सहायक अवर-निरीक्षक	उत्पाद अवर-निरीक्षक	१० वर्ष
४। उत्पाद सिपाही	उत्पाद सहायक अवर-निरीक्षक	१० वर्ष
५। उत्पाद लिपिक	उच्चवर्गीय उत्पाद लिपिक	७ वर्ष
६। उत्पाद उच्चवर्गीय लिपिक	प्रधान लिपिक	७ वर्ष

नोट—अधीक्षक, उत्पाद से सहायक आयुक्त, उत्पाद तथा सहायक आयुक्त, उत्पाद से उपायुक्त, उत्पाद के पद पर प्रोन्नति के लिए सेवावधि निर्धारण का प्रश्न विचाराधीन है।

(४) भू-संरक्षण निदेशालय के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए सेवावधि।
१। निम्नवर्गीय लिपिक (१०५—१५५)।	उच्चवर्गीय लिपिक (१५०—२००)।	८ वर्ष
२। उच्चवर्गीय लिपिक (१५० –२००)।	प्रधान लिपिक (२०० – ३००)।	१० वर्ष
३। कनीय सर्वेयर	वरीय सर्वेयर (१६० —२८०)	५ वर्ष

नोट—लिपिक के पद पर प्रोन्नति से सम्बन्धित अन्य काइटेरिया जो "बिहार बोर्ड्स मिसलेनियस रूल्स" तथा अन्य इससे सम्बन्धित नियम का अनुसरण करते हुए ही विचार किया जायगा।

(५) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए सेवावधि।
१। अंकेक्षक (१३०—२२५)।	वरीय अंकेक्षक वर्ग २ (२०० —३५०)।	
२। वरीय अंकेक्षक वर्ग २ (२००—३५०)।	वरीय अंकेक्षक वर्ग १ (२३०— ४५०)।	६ वर्ष
३। वरीय अंकेक्षक वर्ग १ (२३०—४५०)।	सहायक लेखा नियंत्रक (२६०—६५०)।	
४। सहायक लेखा नियंत्रक (२६०—६५०)।	उप-लेखा नियंत्रक (३२५—८२५)।	८ वर्ष

२। इस संबंध में अनुरोध है कि जिन विभागों से कालावधि निर्धारण की अनुशंसा अभी तक नहीं भेजी गई है, अविलम्ब भेजने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,
ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या ३/एस २-१११/७१-का—१०७६५

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद,

उप-सचिव,

सेवा में

सभी विभाग के सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक १२ जून १९७२

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन)—कालावधि का निर्धारण।

प्रसंग—(१) इस विभाग के संकल्प संख्या ६२७७-नि०, दिनांक २९ मई १९७१।

(२) कालावधि निर्धारण संबंधी आदेश—

संख्या ३३३३-नि०, दिनांक २२ फरवरी १९७२।

संख्या ५९९३-नि०, दिनांक ६ अप्रील १९७२।

संख्या ८७९७-नि०, दिनांक १३ मई १९७२।

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्न स्तर कोटि के पद में कालावधि निर्धारण के संबंध में कुछ और विभागों से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

१. सहकारिता विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा।

क्रम सं०	पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि
१	पर्यवेक्षक, सहयोग समिति (१०५—१५५ रु०)	निरीक्षक, सहयोग समितियां (१६०—२८० रु०)।	८ वर्ष
२	निरीक्षक, स० स० (१६०—२८०)	सहायक निबंधक, सहयोग समितियां, (२९०—६५०)।	८ वर्ष
३	सहायक निबंधक, स० स० (२९०—६५० रु०)	जिला सहकारिता पदाधिकारी (३२५—९८५ रु०)।	६ वर्ष
४	जिला सहकारिता पदाधिकारी (३२५—९८५ रु०)।	उप-निबंधक, स० स० (४५०—१,१६० रु०)	५ वर्ष
५	उप-निबंधक, स० स०(४५०—१,१६०)।	संयुक्त निबंधक, स० स० (६००—१,४०० रु०)।	६ वर्ष

क्रम सं० ।	पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि ।
६	स्थानीय अंकेक्षक, सहयोग समितियां, (११५—२२५ रु०)	सहायक अंकेक्षक, स० स० (२००—४०० रु०) ।	८ वर्ष
७	सहायक अंकेक्षक, स०स० (२००—४००रु०)	वरीय अंकेक्षक, स० स० (२३०—४५० रु०) ।	६ वर्ष
८	वरीय अंकेक्षक, स० स० (२३०—४५०)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स० स० (२९०—६५० रु०) ।	८ वर्ष
९	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स० स० (२९०—६५०) ।	उप-मुख्य अंकेक्षक (४५०–१,१६० रु०) ।	६ वर्ष

२. श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा ।

क्रम सं० ।	पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि ।
१	श्रम पदाधिकारी	श्रमाधीक्षक	६ वर्ष
२	श्रम अधीक्षक	सहायक श्रमायुक्त	६ वर्ष
३	सहायक श्रमायुक्त	उप-श्रमायुक्त	४ वर्ष
४	अधीक्षक	क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी	७ वर्ष
५	क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी	प्रवर कोटि के प्राचार्य	३ वर्ष
६	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	प्रवर कोटि के प्राचार्य	१० वर्ष

३. निबंधन विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा ।

क्रम संख्या ।	पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि ।
१	निम्नवर्गीय लिपिक (१०५—१५५ रु०)	उच्चवर्गीय लिपिक (१५०—२०० रु०)	१० वर्ष
२	उच्चवर्गीय लिपिक (१५०—२०० रु०)	प्रवर कोटि लिपिक (२०० -३००रु०)	५ वर्ष

(अगर इससे कम अवधि में गैर हरिजन/गैर-आदिवासी व्यक्ति की प्रोन्नति होती है तो हरिजनों / आदिवासियों की भी प्रोन्नति हो सकती है ।)

(४) शिक्षा विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा

क्रम सं०	पद		उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि
१	अवर-शिक्षा सेवा निम्न श्रेणी	....	अवर-शिक्षा सेवा उच्च श्रेणी	१० वर्ष
२	अवर-शिक्षा सेवा उच्च श्रेणी	....	बिहार शिक्षा सेवा वर्ग २	८ वर्ष
३	बिहार शिक्षा सेवा वर्ग २	....	बिहार शिक्षा सेवा वर्ग १	८ वर्ष
४	बिहार शिक्षा सेवा वर्ग १	...	बिहार शिक्षा सेवा १ के प्रवर कोटि	(विचाराधीन)

(५) उत्पाद विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा

क्रम सं०	पद		उच्चतर पद		प्रोन्नति के लिये सेवा अवधि
१	सहायक आयुक्त, उत्पाद	....	उपायुक्त, उत्पाद	....	(विचाराधीन)
२	अधीक्षक, उत्पाद	....	सहायक आयुक्त उत्पाद	....	
३	उत्पाद निरीक्षक	....	अधीक्षक, उत्पाद	...	७ वर्ष
४	उत्पाद अवर-निरीक्षक	....	उत्पाद निरीक्षक	...	१० वर्ष
५	उत्पाद सहायक अवर-निरीक्षक	...	उत्पाद अवर-निरीक्षक	...	१० वर्ष
६	उत्पाद सिपाही	...	उत्पाद सहायक अवर-निरीक्षक	....	१० वर्ष
७	उत्पाद लिपिक	...	उच्चवर्गीय उत्पाद लिपिक	...	७ वर्ष
८	उत्पाद उच्चवर्गीय लिपिक	....	प्रधान लिपिक	....	७ वर्ष

२. इस सम्बंध में अनुरोध है कि जिन विभागों से कालावधि निर्धारण की अनुशंसा अभी तक इस विभाग को नहीं भेजी गयी है; अविलम्ब भेजने की कृपा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है सरकारी आदेश है कि जबतक अवधि निर्धारित नहीं होती है प्रोन्नति का प्रश्न स्थगित रखा जाय।

विश्वासभाजन,
ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या ३/एम० २-१११/७१का०—११११६

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

सभी विभाग के सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी।

२६ ज्येष्ठ १८९४ (श०)
पटना-१५, दिनांक————
१६ जून १९७२

विषय — सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये आरक्षण—कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या ३३३३- दिनांक २२ फरवरी १९७२ की कंडिका (१) में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे कहना है कि कार्मिक विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा के सम्बन्ध में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिये सेवा अवधि।
(क) अवर-उप समाहर्त्ता (२९०—६५० रु०)	... उप-समाहर्त्ता (३२५—९८५ रु०)	६ वर्ष
(ख) उप-समाहर्त्ता (३२५ – ९८५ रु०)	.... अनुमंडल पदाधिकारी की सूची	५ वर्ष
(ग) उप-समाहर्त्ता (३२५—९८५ रु०)	... अपर समाहर्त्ता (९००- १,४०० रु०)	८ वर्ष

बशर्ते उनका नाम कनीय
प्रवर कोटि की सूची में है

२. अनुरोध है कि इसकी जानकारी संबंधित पदाधिकारियों को कृपया करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र सं० ३/एस २-१११/७१—१९१०८-का०
बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

प्रेषक,

श्री शिवनाथ सँगल,
सरकार के सचिव,

सेवा में,

सरकार के सभी प्रमुख सचिव
सरकार के सभी सचिव
अवर सचिव/सभी विभागाध्यक्ष
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–१५, दिनांक १२ अक्तूबर १९७२

विषय — सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लिए आरक्षण कालावधि का निर्धारण

प्रसंग—१— (क) इस विभाग का संकल्प संख्या १२७७-नि० दिनांक २९ मई १९७१

(ख) इस विभाग का संकल्प संख्या १४४२५-नि०, दिनांक २३ अगस्त १९७१

२. कालावधि निर्धारण सम्बन्धी आदेश—

(क) संख्या ३३३३-नि०, दिनांक २२ फरवरी १९७२

(ख) संख्या ५९९३-नि०, दिनाक ६ अप्रील १९७२

(ग) संख्या ८७९७-नि०, दिनांक १३ मई १९७२

(घ) संख्या १०७९५-नि०, दिनांक १२ जून १९७२

(ङ) संख्या ११११६-का०, दिनांक १६ जून १९७२

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्नतर कोटि के पद में कालावधि निर्धारण के संबंध में कुछ विभागों में ऐसी शंका उत्पन्न हुई है कि उपर्युक्त आदेशों में प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ निर्धारित सेवा अवधि केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति पर ही लागू है अथवा सभी गैर-अनुसूचित जातियों पर भी।

२. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि उपर्युक्त कालावधि निर्धारण सम्बन्धी आदेश सभी पर एक समान लागू होता है लेकिन जब ऐसी स्थिति आए कि निर्धारित कालावधि से कम अवधि में ही रिक्तियां उपलब्ध हों और किसी गैर-अनुसूचित जाति, गैर-अनुसूचित जन-जाति को कम अवधि में हीप्रोन्नति देकर रिक्ति को भरना पड़े तो वैसी स्थिति में अनुसूचित जाति, जन-जाति के केस पर भी समरूप से विचार किया जायगा। दृष्टांत के लिए सचिवालय के निम्नवर्गीय सहायक को उच्चवर्गीय सहायक के कुछ पद पर प्रोन्नति देने के लिये ८ वर्षों की सेवा अवधि निर्धारित की गयी है। उच्चवर्गीय सहायक के कुछ पद रिक्त हैं और एक गैर-अनुसूचित जाति गैर-अनुसूचित जन-जाति निम्नवर्गीय सहायक-उच्चवर्गीय विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तथा सेवा अभिलेख के आधार पर प्रोन्नति के योग्य पाये जाते हैं, लेकिन निम्नवर्गीय सयायक के रूप में उनकी सेवा अवधि निर्धारित सेवा अवधि से कम है। ऐसी स्थिति में उसे निम्नवर्गीय सहायक के पद पर प्रोन्नति दी जा सकती है। लेकिन उसी अवधि के प्रोन्नति पाने योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति सहायक के केस पर भी समरूप से विचार होगा।

३. अनुरोध है कि अपने विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सभी नियुक्ति पदाधिकारियों को इसकी जानकारी कर दी जाय।

४. यह भी अनुरोध करना है कि प्रत्येक विभाग अपने विभाग की भर्त्ती नियमावली में इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन कर लें।

विश्वासभाजन,
शिवनाथ सँगल
सरकार के सचिव।

पत्र सं० ३/एस २-१११/७१-का०—२२३३४।

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव,

सेवा में,

सभी विभाग के सचिव

सभी विभागाध्यक्ष,

पटना-१५, दिनांक २३ दिसम्बर १९७२।

विषय— सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण कालावधि का निर्धारण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या ३३३३-नि०, दिनांक २२ फरवरी, १९७२ की कंडिका (२) (ग) में आंशिक संशोधन एवं परिवर्त्तन करते हुए मुझे कहना है कि सचिवालय स्थित निबन्धक के पद पर प्रोन्नति देने के संबंध में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि।
(ग) प्रशाखा पदाधिकारी .. (२९०—६५० रु०)	निबन्धक .. (३००—७५० रु०)	प्रोन्नति में सुयोग्य व्यक्ति की वरीयता का ख्याल रहते हुए प्रोन्नति दी जाए, किन्तु अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के उम्मीदवार को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर कम से कम ५ वर्षों का अनुभव अनिवार्य होगा।

२। अनुरोध है कि इसकी जानकारी सम्बन्धित पदाधिकारियों को कृपया करा दी जाए।

विश्वासभाजन,
ठाकुर प्रसाद
सरकार के उप-सचिव।

संख्या ३।एस-२-१०६०।७२—१८३०३-का०।

बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री पी० के० जे० मेनन,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में

सभी विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी

पटना-१५, दिनांक १७ अग्रहण, १८९८ (श०) ।
८ दिसंबर, १९७३।

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण पुनरीक्षित कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प सं० ९२७७-नि०, दिनांक २९ मई, १९७१ (प्रति संलग्न) की कंडिका ४ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उसके ठीक निम्नस्तर कोटि के पद में कम-से-कम कितने वर्षों की सेवा आवश्यक समझी जाय, इस सम्बन्ध में कुछ विभागों की अनुशंसा पर कालावधि का निर्धारण किया गया, अभी तक अनेक विभागों से अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है।

२. अवधि निर्धारण का अभिप्राय है कि ऐसा न हो कि कोई सरकारी सेवक समुचित अनुभव प्राप्त किये बिना किसी ऐसे उच्चतर पद पर प्रोन्नति पा जाए जिसका उत्तरदायित्व संभालने में वह असमर्थ हो। इस सम्बन्ध में जितने आदेश निर्गत हुए हैं उन्हें देखने से पता चलता है कि किसी विभाग में प्रोन्नति के लिए निर्धारित सेवा अवधि बहुत लम्बी है, तथा कई विभागों ने जो अवधि निर्धारित की है उसके लिए पूर्ण औचित्य नहीं है। अतः अवधि निर्धारण संबंधी आदेश में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए फिर से विचार करना आवश्यक है ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सरकारी कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण का उचित लाभ मिल सके।

३. अनुरोध है कि अपने विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवाओं के सम्बन्ध में पुनरीक्षित अनुशंसा कार्मिक विभाग को एक महीने के अन्दर अवश्य भेज दें। पदाधिकारियों के नाम के साथ वर्तमान वेतनमान भी अंकित कर दें।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन,
पी० के० जे० मेनन,
मुख्य सचिव, बिहार।

संख्या ३/एस २-१११/७१—२०७०१-का०

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री कीर्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव,

सेवा में

सभी विभाग के सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक २४ आश्विन १८९६ (श०) / १६ अक्तूबर १९७४

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये आरक्षण (Reservation) कालावधि का निर्धारण

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या ३/एस २-१११/७१—८७९७-का०, दिनांक १३ मई १९७२ की कंडिका (२) में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे कहना है कि योजना (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा के संबंध में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि
१. प्रवेशिकोत्तीर्ण अमीन.... (१९०—२४४रु०)	.... कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक ... (२२०—३१५ रु०)	... ४ वर्ष
२. कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (२२०—३१५ रु०)	.... संकलक	.... ४ वर्ष
३. संकलक/सॉर्टर .... (२४०—३९६ रु०)	.... कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक (२९६ ४६० रु०)	... ४ वर्ष
४. कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक (२९६—४६० रु०)	.... वरीय सांख्यिकी सहायक .... (३३५—५५५ रु०)	... ४ वर्ष
५. वरीय सांख्यिकी सहायक (३३५—५५५ रु०)	.... सांख्यिकी पर्यवेक्षक .... (४००—६६० रु०)	.... ४ वर्ष
६. सांख्यिकी पर्यवेक्षक .... (४००—६६० रु०)	.... जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी (४५५—८४० रु०)	.... ४ वर्ष
७. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सांख्यिकी पदाधिकारी (४५५—८४० रु०)	सहायक निदेशक .... (५१०—१,१५५ रु०)	.... ५ वर्ष
८. सहायक निदेशक .... (५१०—१,१५५ रु०)	.... उप-निदेशक .... (६२०—१,४१५ रु०)	.... ५ वर्ष
९. उप-निदेशक .... (६२०—१,४१५ रु०)	... संयुक्त निदेशक .... (१,०६०—१,६८० रु०)	.... ५ वर्ष

विश्वासभाजन,
कीर्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव।

संख्या ३/एस २-१११/७१—२०७०२-का०।
बिहार सरकार।
नियुक्ति विभाग।

प्रेषक

श्री कीर्त्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव

सेवा में

सभी विभाग के सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी जिला पदाधिकारी

२४ आश्विन, १८९६ (श०)
पटना-१५, दिनांक ——————।
१६ अक्टूबर, १९७४

विषय—— सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या ६२७७-नि०, दिनांक २९ मई, १९७१ की कंडिका ४ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्न स्तर कोटि के पद में कालावधि निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ विभागों से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

(क) जन-संपर्क विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा।

पद	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि।
११ उप-जन-सम्पर्क निदेशक (५१०—११५५)	अपर जन-संपर्क निदेशक (८९०—१४,१५)	१० वर्ष
२। सहायक निदेशक एवं जिला जन-संपर्क पदाधिकारी (४५५—८४०)	उप-जन-संपर्क निदेशक (५१०—१,१५५)	८ वर्ष
३। प्रशाखा पदाधिकारी (५८०—८४०)	निदेशक के सचिव (६४०—९४०)	जो सबसे योग्य व्यक्ति पाये जायें उनमें से उन्हीं को वरीयता का ख्याल रखते हुए प्रोन्नति दी जाय।
४। अपर जिला जन-संपर्क अधिकारी एवं अन्य समकक्ष पद (२९६—४६०)	सहायक निदेशक एवं जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी (४५५—८४०)	८ वर्ष
५। कनीय विपत्र लिपिक (३२—३१५)	वरीय विपत्र लिपिक (२८४—३७२)	५ वर्ष।

पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिये सेवा अवधि ।
६ । वरीय विपत्र लिपिक एवं प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल (२८४—३७२)	रोकड़पाल (२९६—४२३) ।	५ वर्ष
७ । यांत्रिक, वर्कशौप (२९६—४६०)	प्रधान यांत्रिक (३४०—४९०)	८ वर्ष
८ । मोटर मेकैनिक ऐण्ड फिटर वर्कशोप (२२०—३१५)	यांत्रिक (२९६—४६०)	६ वर्ष
९ । कैमरा मैन (३३५—५५५)	मुख्य कैमरा मैन [४००—६६०]	८ वर्ष
१० । संगठनकर्त्ता, (गीत-नाट्य) [२९६—४६०]	सहायक कला अनुदेशक [३४२—५७०]	५ वर्ष
११ । सहायक संगठनकर्त्ता (गीत-नाट्य) (२६०—४०८)	सहायक (गीत-नाट्य) (२९६—४६०)	५ वर्ष
१२ । सदस्य (मोद मंडली) (२३०—३४०)	नायक एवं उप-नायक (मोद मंडली) (३४०—४९०)	५ वर्ष
१३ । सदस्य (यात्रा पार्टी) (२३० —३४०)	नायक (यात्रा पार्टी) (३४०—४९०)	५ वर्ष
१४ । कलाकार, वर्ग-२ (२३०—३४०)	कलाकार, वर्ग-१ (२६०—४०८)	५ वर्ष
१५ । सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी (२४०—३९६), प्रादर्शनिक एवं अन्य समकक्ष पद (२९६—४६०)	अपर जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी (३४८—६००)	८ वर्ष
१६ । सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी (२४०—३९६)	प्रादर्शनिक (२९६—४६०)	५ वर्ष
१७ । स्वागत लिपिक (२२०—३१५)	(क) सहायक जन-संपर्क पदाधिकारी (२६०—४०८)	५ वर्ष
	(ख) उच्चवर्गीय लिपिक (२८४—३७२)	५ वर्ष
१८ । इकाई लिपिक (२२०—३१५)	स्वागत लिपिक (२२०—३१५)	५ वर्ष
१९ । क्लीनर (१५५—१९०)	हेल्पर (१५५—१९०)	५ वर्ष
२० । हेल्पर (१५५—१९०)	फीटर, वर्कशौप (२२०—३१५)	१० वर्ष

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि

(क) वन विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा।

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि
१. सहायक लिपिक (२२०—३१५ रु०)	उच्चवर्गीय लिपिक (२८४—३७२ रु०)	१० वर्ष बशर्ते कि मैट्रिक तथा उसके समकक्ष तथा निर्धारित परीक्षा पास हो।
२. उच्चवर्गीय लिपिक (२८४—३७२ रु०)	प्रधान लिपिक	१० वर्ष अगर कोई विभागीय परीक्षा निर्धारित हो तो उसे पास करना अनिवार्य है।
३. आदेशपाल (१५५—१९० रु०)	वनरक्षी/नाकारक्षी तथा समकक्ष पद (१६५—२०४ रु०)	५ वर्ष मिडिल तथा उसके समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है।
४. वनरक्षी/नाकारक्षी आदि (१६५ - २०४ रु०)	कूप/नाका अधिदर्शक तथा समकक्ष पद (१८०—२४२ रु०)	५ वर्ष मिडिल परीक्षा पास होना अनिवार्य है।
५. कूप/नाका अधिदर्शक तथा अन्य (१८०—२४२ रु०)	वनपाल (२२०—३१५ रु०)	५ वर्ष वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय की परीक्षा पास करना अनिवार्य है।
६. वन रक्षक (१६५—२०४ रु०)	वनपाल (२२०—३१५ रु०)	१० वर्ष वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। मिडिल परीक्षा पास करना जरूरी है।
७. वनपाल (२२०—३१५ रु०)	वनरक्षी (फोरेस्ट रेंजर) (३३५—५५५ रु०)	१० वर्ष मैट्रिक तथा इसके समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इसके अलावे वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय तथा वनपाल प्रशिक्षण की परीक्षा भी पास होना अनिवार्य है।
८. वनरक्षी (३३५—५५५ रु०)	कनीय वन पदाधिकारी (बिहार कनीय वन सेवा) (४५५—८४० रु०)	१० वर्ष
९. कनीय वन पदाधिकारी (४५५—८४० रु०)	सहायक वन संरक्षक (५१०—१,१५५ रु०)	६ वर्ष
१०. वनरक्षी (फॉरेस्ट रेंजर) (३३५—५५५ रु०)	सहायक वन रक्षक (५१०—१,१५५ रु०)	१६ वर्ष
११. लैक अटेण्डेन्ट	लैक डिमौन्स्ट्रेटर (२२० - ३१५ रु०)	१० वर्ष मिडिल परीक्षा पास होना अनिवार्य है
१२. लाह प्रदर्शक (२२०—३१५ रु०)	लाह निरीक्षक (२९६ - ४२३ रु०)	५ वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास होना तथा लाह कल्टीवेशन के प्रशिक्षण में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि
(ग) गृह (कारा) विभाग के प्रशासी नियन्त्रणाधीन सेवा		
१. सहायक प्रोबेशन पदाधिकारी	प्रोबेशन पदाधिकारी	५ वर्ष
२. प्रोबेशन पदाधिकारी	प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी	८ वर्ष
३. प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी	निदेशक	विचाराधीन
४. कक्षपाल	उच्च कक्षपाल	१० वर्ष
५. उच्च कक्षपाल	मुख्य कक्षपाल	८ वर्ष
६. सहायक कारापाल	कारापाल	१० वर्ष
७. कारापाल	मंडल काराधीक्षक	८ वर्ष
८. मंडल काराधीक्षक	केन्द्रीय काराधीक्षक	८ वर्ष
(घ) सिंचाई विभाग के प्रशासी नियन्त्रणाधीन सेवा		
१. अधिदर्शक (३३५—५५५ रु०)	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के लिए (५१०—१,१५५ रु०)	
(क) ऐसे अधिदर्शक जिन्होंने ए० एम० आई० की योग्यता प्राप्त कर ली है		५ वर्ष
(ख) ऐसे अधिदर्शक जिन्होंने ए० एम० आई० की योग्यता प्राप्त नहीं की है		८ वर्ष
२. अभियन्ता सहायक	सहायक अभियन्ता	५ वर्ष
३. सहायक अभियन्ता	कार्यपालक अभियन्ता	८ वर्ष
४. कार्यपालक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	७ वर्ष
५. अधीक्षण अभियन्ता	अपर मुख्य अभियन्ता	५ वर्ष
६. अपर मुख्य अभियन्ता की कोटि में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लेने के पश्चात् पदाधिकारी को मुख्य अभियन्ता के पद पर पदस्थापित किया जा सकता है।		
(ङ) उत्पाद विभाग के प्रशासी नियन्त्रणाधीन सेवा		
१. अधीक्षक उत्पाद	सहायक आयुक्त, उत्पाद	१० वर्ष
२. सहायक आयुक्त, उत्पाद	उपायुक्त, उत्पाद	४ वर्ष
(च) शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन सेवा		
१. निम्न अवर सेवा (एल० एस० एस०)	अवर शिक्षा सेवा की निम्न श्रेणी (एस० बी० एस० ई० एस०)	१० वर्ष

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान इस विभाग के संकल्प संख्या ९२७७, दिनांक २९ मई, १९७१ की कंडिका ४ तथा मुख्य सचिव का पत्र संख्या १२३०३, दिनांक ८ दिसम्बर, १९७३ की ओर आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्रों में दिये गए अनुदेशानुसार जिन विभागों से कालावधि निर्धारण की पुनरीक्षित अनुशंसा अभी तक नहीं भेजी गई है, अविलम्ब भेजने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,
कीर्ति नारायण
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या ३/ एस २-१११/७१ — २३०४७-का० ।

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग ।

प्रेषक,

श्री कीर्ति नारायण,

सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में,

स्वास्थ्य विभाग,

बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक १४ नवम्बर, १९७४ ।

विषय — सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लिए आरक्षण पुनरीक्षित कालावधि का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार आपके पत्र संख्या २/टि०-१०२९/७२ — ७०६ (२)-स्वा०, दिनांक १३ फरवरी, १९७३ के प्रसंग में मुझे कहना है कि आपके उपर्युक्त निदेशित पत्र में कालावधि निर्धारण सम्बन्धी आपकी अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित कालावधि निर्धारित की जाती है : —

१। बेसिक ग्रेड से १२½ प्रतिशत (अब १५ प्रतिशत) प्रवर कोटि में प्रोन्नति के लिए ।	बेसिक ग्रेड में न्यूनतम ५ वर्षों की सेवा हो ।
२। १२½ प्रतिशत (अब १५ प्रतिशत) से ४ प्रतिशत (अब ६ प्रतिशत) प्रवर कोटि में प्रोन्नति के लिए ।	१२½ प्रतिशत (अब १५ प्रतिशत) प्रवर कोटि में न्यूनतम ३ वर्ष की सेवा ।
३। ४ प्रतिशत (अब ६ प्रतिशत) से १ प्रतिशत प्रवर-कोटि में प्रोन्नति के लिए ।	४ प्रतिशत (अब ६ प्रतिशत) प्रवर कोटि में न्यूनतम ३ वर्ष की सेवा अवधि ।

इसके अतिरिक्त ऊँचे संवर्गों में जिसमें सिविल सर्जन से उप-निदेशक एवं अन्य वरीय पद आते हैं तीन वर्ष की कालावधि पर्याप्त समझी जानी चाहिए ।

विश्वासभाजन,
कीर्ति नारायण;
सरकार के उप-सचिव ।

पत्र संख्या ३/एस २-१११/७१-का०—२४०८

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग ।

प्रेषक,

श्री सी० आर० वेंकटरामण,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रमुख सचिव,
सरकार के सभी सचिव,
अपर सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष एवं
सभी जिलाधिकारी ।

पटना-१५, दिनांक ८ फरवरी १९७५ ।

विषय— सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति/जन-जाति के लिए आरक्षण कालावधि का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कार्मिक विभाग के आदेश संख्या ११९१०८, दिनांक १२ अक्तूबर, १९७२ (प्रतिलिपि संलग्न) की कंडिका-२ की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहना है कि यद्यपि कि उक्त आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निम्न कोटि के पद से उच्च कोटि के पद पर प्रोन्नति देते समय यदि निर्धारित कालावधि से कम अवधि में ही रिक्तियां उपलब्ध हों और किसी गैर अनुसूचित जाति/जन-जाति को कम अवधि में ही प्रोन्नति देकर रिक्ति को भरना पड़े तो वैसी स्थिति में अनुसूचित जाति/जन-जाति के मामले पर भी समरूप से विचार किया जायगा । लेकिन फिर भी सरकार को यह सूचना मिली है कि वैसी स्थिति में सरकार के कई विभागों ने गैर-अनुसूचित जाति/जन-जाति के उम्मीदवारों को प्रोन्नति देते समय उसी अवधि के प्रोन्नति पाने योग्य अनुसूचित जाति/जन-जाति के सदस्यों के मामले पर समरूप से प्रोन्नति हेतु विचार नहीं किया है ।

२. अतः अनुरोध है कि यदि वैसी स्थिति आये तो अनुसूचित जाति/जन-जाति के मामले पर केवल समरूप से विचार ही नहीं किया जाय, बल्कि यदि उनकी गोपनीय चरित्र-पुस्ति ठीक हो तो, आरक्षण संबंधी कोटा के अधीन उन्हें प्रोन्नति द्वारा नियुक्त भी किया जाय ।

३. अनुरोध है कि अपने विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीनस्थ सभी नियुक्ति पदाधिकारियों को इसकी जानकारी करा दी जाय ।

विश्वासभाजन,

सी० आर० वेंकटरामण,

सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या ११ आर २०६-७५—८१२०-का०
बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग।

प्रेषक,

श्री कीर्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग के सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक १७ वैशाख, १८९६ (श०) / ७ मई, १९७५।

विषय— सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लिए आरक्षण (Reservation) कालावधि का पुनरीक्षण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक निबन्धन विभाग के पत्र संख्या २/ए १४०८/७१—२४२१, दिनांक ३१ जुलाई, १९७२ का आंशिक संशोधन करते हुए मुझे कहना है कि निबन्धन विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन अवर निबन्धक के पद से जिला निबन्धक के पद पर प्रोन्नति के लिए निर्धारित १८ वर्ष की कालावधि को पुनरीक्षित कर सरकार ने १० वर्ष करने का निर्णय लिया है।

विश्वासभाजन,

(ह०) कीर्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या ११। ए १-४०८। ७१—२४२१
बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
(निर्वाचन शाखा)

प्रेषक,

श्री कामेश्वर प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला निबन्धक।

पटना-१५, दिनांक ३१ जुलाई, १९७२

विषय— निबन्धन विभाग के सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने राजस्व भूमि सुधार एवं उत्पाद विभाग की निबंधन शाखा में निम्न पदों पर प्रोन्नति के लिए कालावधि निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि
(क) अवर निबंधक से	अवर निबंधक के प्रवर कोटि पद पर प्रोन्नति के लिए।	१६ वर्ष
(ख) अवर निबंधक के प्रवर कोटि के पद से।	जिला अवर निबंधक के पद पर प्रोन्नति के लिए।	२ वर्ष
(ग) जिला अवर निबंधक से	जिला अवर निबंधक के प्रवर कोटि	२ वर्ष

इसकी सूचना सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को दे दी जाय तथा प्राप्ति की सूचना भेजने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन,
(ह०) कामेश्वर प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

———

पत्र संख्या ३। एस २-१०१। ७१—१५४८८ का०
बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग।

प्रेषक,

श्री कीर्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव,

प्रमुख सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक १९ अगस्त, १९७५।

विषय — सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति / जन-जाति के आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या ९२७७, दिनांक २९ मई, १९७१ की कंडिका ४ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवाओं की किसी कोटि के पद पर

प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्न स्तर कोटि के पद में कालावधि निर्धारण करने के सम्बन्ध में सरकार ने निम्न-लिखित निर्णय लिया है :—

समाहरणालयों में प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए कालावधि
१. निम्नवर्गीय लिपिक (२२०-३१५)	उच्चवर्गीय लिपिक (२८४-३७२)	८ वर्ष
२. उच्चवर्गीय लिपिक (२८४-३७२)	उच्चवर्गीय लिपिक (प्रवर कोटि) (३४०-५६०)	५ वर्ष
३. उच्चवर्गीय लिपिक (प्रवर कोटि) (३४०-४६०)	कार्यालय अधीक्षक	१० वर्ष
४. राजस्व कर्मचारी (२२०-३१५)	राजस्व कर्मचारी (प्रवर कोटि) (२८४-३७२)	८ वर्ष
५. राजस्व कर्मचारी (प्रवर कोटि) (२८४-३७२)	अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो (२९६-४६०)	६ वर्ष
६. अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो (२९६-४६०)	प्रवर कोटि (३३५-५५५)	५ वर्ष
७. पंचायत सेवक (२२०-३१५)	पंचायत सेवक (प्रवर कोटि) (२८४-३७२)	८ वर्ष
८. पंचायत सेवक (प्रवर कोटि) (२८४-३७२)	पंचायत (पर्यवेक्षक) (२९६-४६०)	६ वर्ष
९. पंचायत पर्यवेक्षक (२९६-४६०)	पंचायत पर्यवेक्षक (प्रवर कोटि)	५ वर्ष
१०. जनसेवक (२३०-३४०)	जनसेवक (प्रवर कोटि) (२४०-३९६)	८ वर्ष

विश्वासभाजन,

कीर्ति नारायण,
सरकार के उप सचिव।

———

संख्या/का०-३५८
बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग।

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक २६ फरवरी, १९७५ / ७ फाल्गुन, १८९६ (श०)।

विषय — सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या ९२७७/नि०, दिनांक २९ मई, १९७१ की कंडिका ४ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर

प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्न स्तर कोटि के पद में कालावधि निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ विभागों से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

(क) आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा।

पद	उच्चतर पद		प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि
१. आपूर्ति निरीक्षक	... सहायक पणन पदाधिकारी	...	६ वर्ष
२. सहायक पणन पदाधिकारी	.... पणन पदाधिकारी	....	६ वर्ष

(ख) कृषि एवं मत्स्य विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा।

(अ) प्रावैधिक संवर्ग।

१. प्रयोगशाला सहायक एवं विशिष्ट मछुआ	मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक	....	५ वर्ष
२. मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक	.... मत्स्य प्रक्षेत्र प्रबन्धक	...	६ वर्ष
३. मत्स्य प्रक्षेत्र प्रबन्धक	.... मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य सर्वेक्षक	...	५ वर्ष
४. मत्स्य निरीक्षक ——— मत्स्य सर्वेक्षक	.... अनुमंडल मत्स्य पदाधिकारी ——— कनीय मत्स्य अनुसंधान पदाधिकारी ——— मत्स्य अनुदेशक ——— मत्स्य विपणन पदाधिकारी।	...	५ वर्ष
५. अनुमंडल मत्स्य पदाधिकारी ——— कनीय मत्स्य अनुसंधान पदाधिकारी ——— मत्स्य अनुदेशक ——— मत्स्य विपणन पदाधिकारी।	बिहार मत्स्य सेवा वर्ग २ (कनीय)	...	३ वर्ष
६. बिहार मत्स्य सेवा वर्ग २ (कनीय)।	... बिहार मत्स्य सेवा वर्ग २ (वरीय)।	....	६ वर्ष
७. बिहार मत्स्य सेवा वर्ग २ (वरीय)	... बिहार मत्स्य सेवा वर्ग १	...	८ वर्ष
८. बिहार मत्स्य सेवा वर्ग १	... बिहार मत्स्य सेवा वर्ग १ (विशिष्ट)।	....	६ वर्ष

(क) लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा।

कनीय अभियन्ता ...	.... प्रवर कोटि	....	५ वर्ष

(ख) खनन एवं भूतत्व विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा।

१. खनन सर्वेक्षक, खनन निरीक्षक	... सहायक खनन पदाधिकारी	....	८ वर्ष

विश्वासभाजन,

राजेन्द्र प्रसाद,

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या ११६७०-का०

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के अवर-सचिव,

सेवा में

सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक २७ जून १९७५

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति/जन-जाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन)— कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या ९२७७-नि०, दिनांक २९ मई १९७१ की कंडिका ४ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवाओं के किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्नस्तर कोटि के पद पर कालावधि निर्धारण करने के संबंध में कुछ विभागों द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:—

(क) सिंचाई (नदी घाटी योजना) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा।

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए कालावधि।
अवर-अधिदर्शक (वेतनमान २४०—६—३००-द०अ०—८-३९६ रु०)।	अधिदर्शक (वेतनमान ३३५—१०—३९५—द०अ०—१०-४३५—१२—४९५-द०अ०—५५५ रु०)।	५ वर्ष
प्रधान लिपिक (वेतनमान ३४०—१०—४००—द०अ०—१०—४९० रु०)।	प्रवर कोटि	६ वर्ष
प्रधान लिपिक (वेतनमान ३४०—४९० रु०)	प्रधान सहायक (वेतनमान ४६१—१५—५४०—द०अ०—१५—६०० रु०)।	८ वर्ष
पत्राचार लिपिक वेतनमान २२०—४-२४०—द०अ०—५—२९०—द०अ०-५-३१५ रु०)	प्रवर कोटि (वेतनमान २८४—६—३००—८—३२४—द०अ०—८—३७२ रु०)।	६ वर्ष

रेकार्ड लिपिक वेतनमान (२२०—३१५रु०)।	प्रधान लिपिक (वेतनमान ३४०—१०—४०० —द०अ०—१०—४९० रु०)।	८ वर्ष
वरीय लेखा लिपिक (वेतनमान २६०—६—२९६—द०अ०—८—४०८ रु०)।	प्रवर कोटि (वेतनमान—३४०-१०—४००—द०अ०—१०—४६० रु०)।	६ वर्ष।
कनीय लेखा लिपिक (वेतनमान २२०-४—२४०-द०अ०—५—२९०-५—३१५ रु०)।	वरीय लेखा लिपिक (वेतनमान २६०—६-२९६ —द०अ०—८—४०८ रु०)।	६ वर्ष।
स्टोर कीपर (वेतनमान २२०-४—२४०—द०अ०——५—२९०—द०अ०—५—३१५ रु०)।	प्रवर कोटि (वेतनमान निर्धारित नहीं है, परन्तु वे निम्न वेतन पा रहे हैं:— (i) २८४—६—३०८—३२४—द० अ०—८—३७२ रु०)। (ii) वेतनमान ३४०—१०—४०० —द०अ०—१०—४९० रु०)।	६ वर्ष।
ड्राफ्टसमैन ग्रेड ii (वेतनमान २४० —६—३०० —द०अ०—८—३९६ रु०)।	ड्राफ्टसमैन ग्रेड i (वेतनमान २९६—८—३६० द०अ० —९ - ४२३ रु०)।	६ वर्ष
ट्रेसर (वेतनमान १९०—३—२२०—द०अ०—३—२३८—४—२५४ रु०)।	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड ii (वेतनमान २४० —६—३००-द०अ०—८—३९६ रु०)।	६ वर्षो।
ब्लू प्रिंटर (१८०—२—१९०-३-२३८—४—२४२ रु०)।	ट्रेसर (१९०-३—२२०—द०अ० -३—२३८-४—२५४ रु०)।	५ वर्षो।

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए कालावधि।
आशुलिपिक-सह-टंकक (वेतनमान ३१५+आशुलिपिक भत्ता)।	प्रवर कोटि (वेतनमान २८४—३७२+आशुलिपिक भत्ता)।	८ वर्षो।

(ख) लोक निर्माण विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा।

सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (प्रवर कोटि)	५ वर्षो।
कार्यपालक अभियन्ता	कार्यपालक अभियन्ता (प्रवर कोटि)	४ वर्षो।

(ग) कार्मिक विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा।

उच्चवर्गीय सहायक	उच्चवर्गीय सहायक (प्रवर कोटि)	५ वर्षो।

इस संबंध में आपका ध्यान इस विभाग के संकल्प संख्या ९२७७, दिनांक, २९ मई १९७१ की कंडिका ४ तथा मुख्य सचिव के पत्र १२३०३/८ दिसम्बर १९७३ की ओर आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्र में दिये गये अनुदेशानुसार जिन विभागों से कालावधि निर्धारण के संबंध में पुनरीक्षित अनुशंसा अभी तक नहीं भेजी गयी है अविलम्ब भेजने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,

राजेन्द्र प्रसाद,

सरकार के अवर-सचिव।

पत्र संख्या ३/एस २-१०१/७१-८८२६-का

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री कीर्त्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव,

सेवा में

सरकार के सभी विभाग

सरकार के सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी

पटना—१५, दिनांक ३० अप्रील, १९७६।

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति/जन-जाति के आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक गृह (आरक्षी)विभाग के संकल्प संख्या १/डब्लू-२ १०८/७२—६५४९, दिनांक १६ जुलाई, १९७४ का आंशिक संशोधन करते हुए मुझे कहना है कि गृह (आरक्षी) विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

गृह (आरक्षी) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए कालावधि।
(१) साक्षर सिपाही तथा समकक्ष पद।	सहायक अवर आरक्षी-निरीक्षक तथा समकक्ष।	५ वर्ष
(२) सहायक अवर आरक्षी निरीक्षक तथा समकक्ष पद।	अवर-आरक्षी निरीक्षक तथा समकक्ष पद।	५ वर्ष
(३) अवर-आरक्षी निरीक्षक तथा समकक्ष पद।	आरक्षी निरीक्षक तथा समकक्ष पद....	५ वर्ष
(४) आरक्षी निरीक्षक तथा समकक्ष पद।	उप-आरक्षी निरीक्षक तथा समकक्ष पद।	५ वर्ष
(५) उप आरक्षी निरीक्षक तथा समकक्ष पद।	आरक्षी अधीक्षक तथा समकक्ष पद....	४ वर्ष

विश्वासभाजन,

कीर्त्ति नारायण,

सरकार के उप-सचिव।

पत्र सं० ३/एस—२-१०१/७१—१२८४३-का

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री कीर्त्ति नारायण,
सरकार के उप सचिव,

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सरकार के सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी

पटना-१५, दिनांक २१ जून, १९७६ ।

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति/जन-जाति के आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या ८८२६; दिनांक ३० अप्रील १९७६ (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे अनुरोध करना है कि क्रम संख्या ४ एवं ५ दिखाए गए कालमों को कृपया निम्न प्रकार से पढ़ा जाए:—

क्रम सं० ।	पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि ।
१	२	३	४
४	आरक्षी निरीक्षक तथा समकक्ष पद से	उप-आरक्षी अधीक्षक तथा समकक्ष पद ।	५ वर्ष
५	उप-आरक्षी अधीक्षक तथा समकक्ष पद से ।	अपर आरक्षी अधीक्षक तथा समकक्ष पद ।	४ वर्ष

विश्वासभाजन,
कीर्त्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञाप संख्या ११/आ-१-/७६—९९१-का०
बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री कीर्त्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव,

सेवा में

सरकार के सभी सचिव
सभी विभागाध्यक्ष

पटना-१५, दिनांक १० अगस्त १९७६।

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति/जन-जाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या ९२७७, दिनांक, २९ मई, १९७१ तथा परिपत्र संख्या ११७०, दिनांक २७ जून, १९७६ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवाओं के किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिये उससे ठीक निम्नतर कोटि के पद पर कालावधि निर्धारण करने के संबंध में लोक-निर्माण विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:—

लोक-निर्माण विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिये कालावधि।
१	२	३
(१) अधीक्षण अभियंता ...	अधीक्षण अभियंता (प्रवर कोटि) ...	३ वर्ष।

नोट—कालावधि निर्धारण के संबंध में उपर्युक्त आदेश अनुसूचित जाति/जन-जाति तथा गैर-अनुसूचित जाति/जन-जाति सभी पर एक समान लागू होगा।

विश्वासभाजन,
कीर्त्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या विविसे०क-१०६/७७—६३११
बिहार सरकार
वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग।

प्रेषक

श्री अबु हाकिम,
वाणिज्य कर आयुक्त-सह-पदेन विशेष सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में

सचिव,
कार्मिक विभाग, बिहार, पटना।

पटना-, दिनांक १ जून १९७७

विषय— सरकारी सेवा में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति/जन-जाति के आरक्षण की व्यवस्था।

महाशय,

नियुक्ति विभाग के संकल्प संख्या ९२७७, दिनांक २९ मई, १९७१ की कंडिका ४ में दिये गये अनुदेश के अनुसार निर्गत उपर्युक्त विषयक विभागीय ज्ञाप संख्या २६५२, दिनांक ११ मार्च, १९७२ एवं ८७-सी, दिनांक ३१ जनवरी, १९७५ को संशोधित करते हुए निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि राज्य सरकार ने बिहार वित्त सेवा की किसी कोटि में प्रोन्नति के लिए ठीक उससे निम्न स्तर में अधोलिखित सेवा अवधि निर्धारित करने का निर्णय लिया है :—

निम्न स्तर का पद।	उच्च स्तर का पद।	न्यूनतम सेवा अवधि।
बिहार वित्त सेवा ...	... सहायक आयुक्त	.... ४ वर्ष।
सहायक आयुक्त ...	... उपायुक्त	.... वरीय शाखा में ८ वर्ष की सेवावधि किन्तु सहायक आयुक्त के स्तर से भी प्रोन्नति दी जायगी।
उपायुक्त	.... संयुक्त आयुक्त	.... ३ वर्ष।
संयुक्त आयुक्त	... वरीय संयुक्त आयुक्त	.... ३ वर्ष।

२. उपर्युक्त निर्धारित कालावधि के बावजूद यदि सरकार द्वारा स्वीकृत आदेश के अनुसार सभी पद नहीं भरे जाते हैं तो विभाग कालावधि में छूट देने के लिए यथासमय प्रस्ताव दे सकता है।

३. उपर्युक्त संशोधन पर कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त की जा चुकी है।

विश्वासभाजन,

अबु हाकिम,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-पदेन विशेष सचिव,
बिहार, पटना।

संख्या ११/अ १-१२०/७६ का०—२३०

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग।

प्रेषक,

श्री पूरण मल मित्तल,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

पटना-१५, दिनांक ११ अगस्त, १९७७।

विषय— सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति/जन-जाति एवं सामान्य जाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या ९२७७, दिनांक २९ मई, १९७१ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवाओं के किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्न स्तर कोटि के पद पर कालावधि निर्धारण करने के सम्बन्ध में श्रम एवं नियोजन विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए कालावधि।
१	२	३
मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं अधीनस्थ कार्यालय के प्रवर कोटि लिपिक (वेतनमान ३४०-४९० रु०)।	मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं अधीनस्थ कार्यालय के प्रवर कोटि (वेतनमान (३३५-५५५ रु०)।	५ वर्ष

नोट— कालावधि निर्धारण के संबंध में उपर्युक्त आदेश अनुसूचित जाति / जन-जाति तथा गैर-अनुसूचित जाति जन-जाति सभी पर एक समान लागू होगा।

विश्वासभाजन,

पूरण मल मित्तल,

सरकार के उप-सचिव।

पत्र सं० ११-आ १-१२०/७६-का०—३०२

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग।

प्रेषक,

श्री पूरण मल मित्तल;
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव,

सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक ७ सितम्बर, १९७७।

विषय— सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्न स्तर कोटि के पद से कालावधि निर्धारण के सम्बन्ध में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

राष्ट्रीय बचत के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा —

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए कालावधि।
राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी (४५५-८४०)	राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी (प्रवर कोटि) (५१०-१,१५५)	५ वर्ष

विश्वासभाजन,

रामसेवक मंडल,

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

पत्र संख्या ११/आ १-१२०/७७ का०-३८३।

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी विभाग,

सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-१५, दिनांक १२ अक्तूबर, १९७७।

विषय— सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति। जन-जाति / सामान्य जाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या ६२७७, दिनांक २९ मई, १९७१ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवाओं की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्न स्तर कोटि के पद पर कालावधि निर्धारण करने के सम्बन्ध में श्रम एवं नियोजन विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

श्रम एवं नियोजन के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा—

पद।	उच्चतर पद।		प्रोन्नति के लिए कालावधि।
१. उपाधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण (रु० ४५५-८४०)	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण (रु० ५१०-१,१५५)	....	५ वर्ष।
२. क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी प्रवर कोटि के प्राचार्य से।	उप-निदेशक	...	४ वर्ष।

नोट— कालावधि निर्धारण के सम्बन्ध में उपर्युक्त आदेश अनुसूचित जाति / जन-जाति तथा गैर-अनुसूचित जाति / जन-जाति सभी पर एक समान लागू होगा।

विश्वासभाजन,

पूरण मल मित्तल,

सरकार के उप-सचिव।

पत्र सं० ११/आ १-१२०/७६—४३६—का०

बिहार सरकार

नियुक्ति विभाग

प्रेषक

श्री पूरणमल मित्तल,
सरकार के उप-सचिव,

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-१५, दिनांक ४ नवम्बर, १९७७

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति/जन-जाति एवं सामान्य जाति के लिये आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या ९२७७, दिनांक २९ मई १९७१ के प्रसंग में मुझे कहना है कि सरकारी सेवाओं की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिये उससे ठीक निम्नतर कोटि के पद पर कालावधि निर्धारण करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया है ।

(क) श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा

पद		उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिये कालावधि
श्रम निरीक्षक	....	श्रम निरीक्षक (प्रवर कोटि)....	६ वर्ष

(ख) आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा

पणन पदाधिकारी (वेतनमान ४००—६६० रु०)
सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी ६ वर्ष (वेतनमान ४५,५—८४० रु०)

नोट—कालावधि निर्धारण के सम्बन्ध में उपर्युक्त आदेश अनुसूचित जाति/जन-जाति तथा गैर अनुसूचित / जनजाति सभी पर एक समान लागू होगा तथा समकक्ष पद पर भी लागू होगा ।

विश्वासभाजन,
पूरणमल मित्तल,
सरकार के उप-सचिव ।

पत्र संख्या ११/आ १-१२०/७६-का०—८०

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री पूरणमल मित्तल,
सरकार के उप-सचिव

सेवा में,

श्रम एवं नियोजन विभाग।

पटना-१५, दिनांक १७ फरवरी १९७८

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर कालावधि का निर्धारण

महाशय,

निदेशानुसार इस विभाग के पत्र संख्या ९२७७, दिनांक २९ मई १९७१ के क्रम में मुझे कहना है कि सरकार ने श्रम एवं नियोजन विभाग के अनुशंसा के आधार पर उप-श्रमायुक्त से संयुक्त तथा उप-निदेशक श्रम विभाग से संयुक्त निदेशक, श्रम विभाग के पद पर प्रोन्नति के लिये निम्नांकित कालावधि निर्धारित करने का निर्णय लिया है :—

श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिये कालावधि
(१) उप-श्रमायुक्त (वेतनमान—१,०६०—१,५८० रु०)।	संयुक्त श्रमायुक्त (वेतनमान १,३४० —१,८७० रु०)।	४ वर्ष
(२) उप-निदेशक (वेतनमान—१,०६०—१,५८० रु०)।	संयुक्त निदेशक (वेतनमान—१,३५०—१,८७० रु०)।	४ वर्ष

विश्वासभाजन,
पूरणमल मित्तल,
सरकार के उप-सचिव।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना-१५ दिनांक १६ मई १९७८

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लिये निर्धारित कालावधि में छूट देने के संबंध में।

कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या ९२७७, दिनांक २९ मई १९७१ द्वारा प्रत्येक विभाग में सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति के लिए कालावधि निर्धारित किया गया है, ताकि ऐसा न हो कि कोई सरकारी सेवक समुचित अनुभव प्राप्त किये बिना किसी ऐसे उच्चतर पद पर प्रोन्नति पा जाय जिसका उत्तरदायित्व संभालने में वह असमर्थ हो। इधर विभाग को यह जानकारी मिली है कि प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले विभिन्न पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार को निर्धारित कालावधि पूरा नहीं करने के कारण प्रोन्नति नहीं दी जाती और सरकारी नियम के अनुसार उक्त सुरक्षित पदों को असुरक्षित कर सामान्य जाति से भर दिया जाता है तथा यह भी सूचना है कि कतिपय विभागों में कई मामलों में तो यह कठिनाई इसलिये होती है कि वांछित योग्यता प्राप्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार तो मिलते हैं, परन्तु उनके पास पद पर प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि नहीं होती है तथा विभिन्न विभाग कालावधि में छूट देने के लिए कार्मिक विभाग की राय प्राप्त किया करते हैं जिसमें एकरूपता नहीं अपनायी जा रही है। इन सभी कारणों से सुरक्षित जाति के लिए सुरक्षित पद को असुरक्षित कर सामान्य जाति के उम्मीदवारों से प्रोन्नति दी जाती है।

२. राज्य सरकार चिंतित है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति को विहित प्रतिशत का प्रतिनिधित्व मिल सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रोन्नति में जो निर्धारित कालावधि है, उसमें कहां तक छूट दी जाय, इस प्रश्न पर गम्भीरता-पूर्वक विचार हुआ और इस पर कानूनी परामर्श भी लिया गया है।

३. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर अनुसूचित जाति/जन-जातियों के लिए निर्धारित कालावधि में कुछ छूट दी जाती है तो असंवैधानिक नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर सामान्य जाति के उम्मीदवार के लिए जो कालावधि निर्धारित है, उससे कम कालावधि आरक्षित जाति के लिए निर्धारित की जा सकती है। इस समस्या का समाधान निर्धारित कालावधि में छूट देकर की जा सकती है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षित रिक्तियों के लिए निर्धारित कालावधि में कुछ अवधि की शिथिलता के सिद्धांत को स्वीकार किया जाय। अतः जो कालावधि निर्धारित है, उसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए एक साल की छूट दी जाय ताकि उनका प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में पूरा हो सके और जो पद आरक्षित जाति के लिए अग्रनीत किये जाते हैं उसमें सुधार हो सके।

उपरोक्त संदर्भ में प्रत्येक संवर्ग के लिए जो निर्धारित कालावधि है, सरकार ने अनुसूचित जाति, जन-जाति के लिए एक वर्ष कम कालावधि रखने का निर्णय लिया है। सामान्य जाति के लिए कालावधि में छूट दी जाय या नहीं इस पर अलग से विचार किया जाय।

आदेश—आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

पूरणमल मित्तल,

सरकार के उप-सचिव।

पटना-१५, दिनांक १६ मई १९७८

ज्ञाप संख्या ११/आ १–१०१८/७७-का – २८८

प्रतिलिपि, महालेखापाल, बिहार लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

पूरणमल मित्तल,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या ११ / आ १-१००७/७८-का० —१६४।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

प्रेषक;

श्री ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के अवर-सचिव।

सेवा में,

शिक्षा आयुक्त, शिक्षा विभाग

पटना-१५, दिनांक ३ अप्रील, १९७८।

विषय— शिक्षा विभाग के अधीन सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति के आरक्षण कालावधि का निर्धारण।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि शिक्षा विभाग की अनुशंसा के आधार पर सरकार द्वारा उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या ३/ एस २-१११/७१-का० -१०७५९, दिनांक १२ जून, १९७२ में आंशिक संशोधन किया गया है। इस संशोधन के फलस्वरूप शिक्षा विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन अवर-शिक्षा सेवा, उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अवर-शिक्षा सेवा, निम्न श्रेणी में जो १० वर्ष की कालावधि निर्धारित है उसे निम्नलिखित रूप से पुनरीक्षित किया जाता है :—

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए कालावधि
१. अवर-शिक्षा सेवा निम्न श्रेणी	अवर-शिक्षा सेवा, उच्च श्रेणी	५ वर्ष।

विश्वासभाजन,
ज्योतिर्मय प्रामाणिक;
सरकार के अवर-सचिव।

पत्र संख्या ११/ आ १-१००७/७८ का०—१६५

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

प्रेषक,

श्री ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के अवर-सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
श्रम एवं नियोजन विभाग।

पटना-१५, दिनांक ३ अप्रील, १९७८।

विषय— श्रम विभाग के अधीन सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति / गैर-अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के संकल्प संख्या ९२७७, दिनांक २९ मई, १९७१ के प्रसंग में मुझे कहना है कि श्रम एवं नियोजन विभाग की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने उस विभाग के अधीन मुफस्सिल कार्यालयों में प्रधान लिपिक प्रवर कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए प्रधान लिपिक के पद पर निम्नलिखित कालावधि निर्धारित की है :—

श्रम एवं नियोजन विभाग के मुफस्सिल कार्यालय के अधीन सेवा—

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवावधि
प्रधान लिपिक (३४०-४९० रु०)	प्रधान लिपिक, प्रवर कोटि (३३५-५५५ रु०)	५ वर्ष

विश्वासभाजन,
ज्योतिर्मय प्रामाणिक,
सरकार के अवर सचिव।

पत्र संख्या ११/ आ १-१०९/७७ का०—३३४

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री पूरणमल मित्तल,
सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष,
———————————
सभी जिलाधिकारी ।

पटना-१५, दिनांक २५ मई, १९७८ ।

विषय— सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण कालावधि का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के परिपत्र संख्या ३३३३, दिनांक २२ फरवरी, १९७२ (प्रति संलग्न) के प्रसंग में सचिवालय के अधीन सहायक से उच्चवर्गीय सहायक, उच्चवर्गीय सहायक से उच्चवर्गीय सहायक (प्रवर कोटि) के पद पर प्रोन्नति के लिए कालावधि निर्धारित है । कई विभागों से पूछ-ताछ किया जा रहा है कि निम्नवर्गीय एवं उच्चवर्गीय सहायक विलयन के फलस्वरूप, सहायक से प्रवर कोटि सहायक की प्रोन्नति में कितने साल की कालावधि रखी जाय । इस पर भली-भांति विचार कर निर्णय लिया गया है कि सहायक से प्रवर कोटि सहायक पर प्रोन्नति के लिए जो पांच वर्ष की कालावधि निर्धारित है, यही कायम रहेगा । पांच वर्ष की अवधि कालावधि की गणना के लिए उस तिथि से मानी जायगी, जिस तिथि से कोई व्यक्ति सहायक (उच्चवर्गीय) के वेतनमान कार्यरत हो ।

विश्वासभाजन,

पूरणमल मित्तल,
सरकार के उप-सचिव ।

पत्र संख्या ३/ एस २-१०१ / ७१ का०—१५८१७

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री पूरणमल मित्तल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सहकारिता विभाग ।

पटना-१५, दिनांक ९ अगस्त, १९७८ ।

विषय — सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति तथा सामान्य जाति हेतु कालावधि का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या ६२७७, दिनांक २६ मई, २९७१ के प्रसंग में मुझे कहना है कि सहकारिता विभाग के अधीन सरकारी सेवाओं के किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति हेतु निम्नतर पदों पर सहकारिता विभाग की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है : –

सहकारिता विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन—

पद का नाम	उच्चतर पद तथा वेतनमान	प्रोन्नति हेतु सेवावधि
अनुसचिवीय सेवा सम्वर्ग	सहायक निबन्धक (वेतनमान ४५५-८४० रु०)	५ वर्ष

विश्वासभाजन,
पूरणमल मित्तल
सरकार के संयुक्त सचिव।

Part XXVII—हड़ताल की अवधि की गणना

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

ज्ञाप संख्या—१०/परी०-१०४४/७४ का०—१०८१/पटना-१५, दिनांक ५ जून, १९७४।

सेवा में,

सभी सरकारी विभाग

संलग्न कार्यालय/विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय:— ८ दिसम्बर, १९७२ से १३ जनवरी, १९७३ तक हड़ताल की अवधि की गणना।

अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप पक्ष) द्वारा ८ दिसम्बर १९७२ से १३ जनवरी, १९७३ तक की हड़ताल की अवधि की सरकारी कर्मचारियों की सेवा में किस प्रकार से गणना की जाय, इसके सम्बन्ध में विभिन्न विभागों तथा कार्यालयों द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाता रहा है। सरकार ने यह निर्णय पहले ही ले लिया था कि "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर हड़ताल पर जानेवाले कर्मचारियों को उक्त अवधि का वेतन आदेय नहीं होगा। फिर भी सरकार ने भलीभांति विचारण के पश्चात यह निर्णय लिया है कि उक्त अवधि के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा आवेदन किये जाने पर उन्हें असाधारण छुट्टी दी जा सकती है जिससे कि उनकी सेवा भंग नहीं हो और पेंशन में आदि में उस अवधि की गणना की जा सके।

२— अतएव निदेशानुसार मुझे अनुरोध करना है कि करकार के उपर्युक्त निर्णय को सभी अधीनस्थ कार्यालयों तथा कर्मचारियों के बीच परिचारित किया जाय और सरकार के निर्णय के अनुसार आगे की कारंवाई की जाय।

(मालती सिन्हा)
सचिव।

ज्ञाप संख्या-१०/परी०-१०४४/७४ का-१०८१/पटना-१५, दिनांक ५ जून, १९७४।
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(मालती सिन्हा)
सचिव।